-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 16.01.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप दहेज हत्या के मामले में 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 03-03 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2020 में थाना पैलानी क्षेत्र अन्तर्गत दहेज हत्या के मामले में 02 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि जनपद चित्रकूट के थाना मऊ क्षेत्र के रहने वाले अर्जुन सिंह पुत्र इन्द्रपाल सिंह ने दिनांक 11.11.2020 को थाना पैलानी पर सूचना दी कि उन्होने अपनी पुत्र अनुराधा की शादी थाना पैलानी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लसड़ा में की थी जिसको उसके घरवालों ने दहेज के लिये प्रताड़ित कर दिनांक 18.09.2020 को जहर देकर मार दिया। इस सम्बन्ध में थाना पैलानी में मु0अ0सं0 178/20 धारा 498ए/304बी/506 भादवि 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सदर श्री अजय भदौरिया द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 12.02.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री विजय बहादुर सिंह व उमाशंकर पाल द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी देवेन्द्र सिंह तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी कमलकिशोर के अथक प्रयासों से दोनों अभियुक्तों को मा0 सत्र न्यायालय बांदा द्वारा 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 03-03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. संजय सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी लसड़ा थाना पैलानी जनपद बांदा।
2. अर्जुन सिंह पुत्र चुनकु सिंह निवासी लसड़ा थाना पैलानी जनपद बांदा।

अभियोजक
श्री विजय बहादुर सिंह

अभियोजक
श्री उमाशंकर पाल

विवेचक
पु0उपा0 श्री अजय भदौरिया

कोर्ट मोहर्रिर
आ0 देवेन्द्र सिंह

पैरोकार
मु0आ0 कमल किशोर